01/सा0सु0 योजना–05/2025 स0क0– 1524

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

संकल्प

पटना, दिनांक– 25/06/2025

विषय :– **राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत वर्त्तमान में पात्र लाभुकों को दी जा रही पेंशन की राशि माह जून, 2025 से रू0 400/– (चार सौ रूपये) को बढ़ाकर रू0 1100/– (ग्यारह सौ रूपये) प्रतिमाह करने एवं इसके निमित कुल रू0 533,47,64,400/– (पाँच सौ तैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख चौंसठ हजार चार सौ रूपये) के अतिरिक्त वार्षिक व्यय का वहन राज्यांश/राज्य योजना मद से किये जाने की स्वीकृति।**

समाज कल्याण विभाग के अधीन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अन्तर्गत राज्य के बी0पी0एल0 परिवार की विधवा, जिनकी आयु 40–79 वर्ष हो, को मासिक आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की गयी है।

2. इस योजनान्तर्गत राज्य के बी0पी0एल0 परिवार की विधवा, जिनकी आयु 40–79 वर्ष हो, को रू0 400/– (चार सौ रूपये) प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जिसमें रू0 300/– (तीन सौ रूपये) केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/– (एक सौ रूपये) राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है। पेंशन की राशि उनके बैंक खाता में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

3. इस योजना में वित्तीय वर्ष 2014–15 के पश्चात देय पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। वर्तमान में बढ़ती मँहगाई एवं अन्य राज्यों द्वारा विधवाओं को दी जा रही मासिक पेंशन की देय राशि को ध्यान में रखते हुए इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत दी जा रही मासिक पेंशन की राशि में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गयी है।

4. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत वर्त्तमान में पात्र लाभुकों को दी जा रही पेंशन की राशि माह जून, 2025 से रू0 400/– (चार सौ रूपये) को बढ़ाकर रू0 1100/– (ग्यारह सौ रूपये) प्रतिमाह करने एवं इसके निमित कुल रू0 533,47,64,400/– (पाँच सौ तैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख चौंसठ हजार चार सौ रूपये) के अतिरिक्त वार्षिक व्यय का वहन राज्यांश/राज्य योजना मद से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस योजना अन्तर्गत पेंशन की दर रू0 1100/– (ग्यारह सौ रूपये) प्रतिमाह किये जाने से राज्य की पात्र विधवाओं को रू0 300/– (तीन सौ रूपये) केन्द्रांश मद से एवं रू0 800/– (आठ सौ रूपये) राज्यांश मद से दिया जायेगा।

6. प्रस्ताव पर संचिका सं0–01/सा0सु0 योजना–05/2025 के टिप्पणी पृष्ठ 10/टि0 पर दिनांक–24.06.2025 को मद सं0–39 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25/6/2025

(बन्दना प्रेयषी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 01 / सा0सु0 योजना—05 / 2025 स0क0— 1524 पटना, दिनांक— 25/06/2025

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

25/6/2025

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 01 / सा0सु0 योजना—05 / 2025 स0क0— 1524 पटना, दिनांक— 25/06/2025

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/6/2025

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 01 / सा0सु0 योजना—05 / 2025 स0क0— 1524 पटना, दिनांक— 25/06/2025

प्रतिलिपि :— मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय / निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय / निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय / निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय / सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव / वित्त विभाग (बजट शाखा) / संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग (योजना एवं बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/6/2025

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 01 / सा0सु0 योजना—05 / 2025 स0क0— 1524 पटना, दिनांक— 25/06/2025

प्रतिलिपि :— सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप निदेशक, सामाजिक सुरक्षा / सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

25/6/2025

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 01 / सा0सु0 योजना—05 / 2025 स0क0— 1524 पटना, दिनांक— 25/06/2025

प्रतिलिपि :— आई0टी0मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/6/2025

सरकार के सचिव।